याचिका क्र. 76/07

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, भोपाल

श्री पवनजय जैन,
न्याय सदन, किरी मोहल्ला,
विदिशा (म.प्र.) – आवेदक

विरूद्ध

म.प्र. मध्य क्षेत्र, विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड,
विदिशा. – अनावेदकगण

: आदेश :

(22 जनवरी 2008)

विषय : विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 94 (1) (f) अपने विनिश्चय, निर्देशों और आदेशों का पुनर्विलोकन (Reviewing) के बारे में पुनर्विलोकन याचिका स्वीकार करने बाबत् ।

याचिकाकर्ता की ओर से श्री पवनजय जैन, विदिशा उपस्थित ।

याचिकाकर्ता – श्री पवनजय जैन, विदिशा द्वारा याचिका क्रमांक 54/2007 में पारित आदेश दिनांक 29.10.2007 के पुनर्विलोकन हेतु यह याचिका दिनांक 10.12.07 को प्रस्तुत की गई ।

1. याचिकाकर्ता ने याचिका में यह उल्लेख किया है कि याचिका क्रमांक 54/07 की सुनवाई दिनांक 29.10.07 को परिवादी से साक्ष्य एवं परिवाद पत्र स्वीकार न कर परिवादी को सुनवाई का अवसर नहीं देकर आदेश सुनवाई दिनांक को ही देना न्याय–संगत नहीं है । उक्त याचिका की सुनवाई हेतु आज दिनांक 22.1.2008 नियत की गई ।

2. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि विद्युत मण्डल/विद्युत वितरण कम्पनी के स्थानीय अधिकारियों द्वारा विद्युत प्रदाय अधिनियम 1948 एवं विद्युत अधिनियम 2003 को एकतरफ रखते हुए उच्चाधिकारियों से प्राप्त मौखिक आदेश पर उपभोक्ता के साथ 5 साल तक विद्युत खपत से अधिक राशि के बिल देना न्यायसंगत नहीं है तथा यह कानून की अवमानना भी है। याचिकाकर्ता ने आयोग से निवेदन किया कि परिवादी की याचिका स्वीकार की जाकर परिवादी को अनावेदक से पिटीशन क्रमांक 54/07 में अपने परिवाद पत्र में चाही गई न्यायिक सहायता देने की कृपा करें ।

3. आयोग द्वारा याचिकाकर्ता को श्रवण किया गया । आयोग द्वारा याचिकाकर्ता को सबसे पहले यह स्पष्ट किया गया कि पुनर्विलोकन याचिका की स्वीकृति हेतु यह आवश्यक है कि याचिका आदेश दिनांक के 60 दिन के अन्दर प्रस्तुत की जावे तथा पारित आदेश में स्पष्ट त्रुटि होना प्रमाणित किया जावे । किन्तु आदेश में स्पष्टतः कोई त्रुटि होना सिद्ध नहीं होता है । मूलतः आयोग ने उक्त याचिका फोरम के आदेश

का पालन करवाने हेतु पंजीकृत की गई थी । आदेश का पालन सुनिश्चित होने के पश्चात याचिका समाप्त की गई । याचिकाकर्ता ने फोरम के आदेश अनुसार राशि मय ब्याज के प्राप्त करना स्वीकार किया है । इससे स्पष्ट है कि इस याचिका में अन्य कोई बिन्दू आयोग के विचार हेतु नहीं था । इस कारण आदेश के पुनरावलोकन का कोई समुचित आधार नहीं है ।

4. अवमानना संबंधी याचिकाकर्ता के कथन से भी आयोग सहमत नहीं है । धारा 228 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध का संज्ञान तब लिया जा सकता है, जब आयोग की कार्यवाही के दौरान या की गई कार्यवाही के संबंध में कोई अपमानजनक टिप्पणी करें । ऐसा इस प्रकरण में नहीं हुआ ।

5. याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अतिरिक्त अभ्यावेदन में विदिशा एस.पी. कार्यालय से रिकार्ड बुलाने हेतु निवेदन किया गया है । यह निवेदन स्वीकार योग्य नहीं है । आवेदक सूचना के अधिकार अधिनियम के अधीन इसकी प्रति प्राप्त कर सकता है और प्राप्त नहीं होने पर नियमानुसार अपीलीय प्राधिकारी से सम्पर्क कर सकता है ।

6. आयोग ने अपने पूर्व आदेश दिनांक 29.10.2007 में अनावेदक के स्पष्टीकरण के आधार पर पैनल्टी आरोपित नहीं की है, किन्तु आयोग द्वारा आदेश का विलम्ब से पालन करने हेतु अनावेदक के प्रति सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए भविष्य में त्रुटि की पुनरावृत्ति न करने हेतु अनावेदक को सचेत किया जा चुका है। फोरम द्वारा अनावेदक द्वारा अधिक वसूल की गई राशि मय ब्याज के लौटाने का आदेश पूर्व में ही दिया जा चुका है । साथ ही विद्युत लोकपाल को भी निर्देशित किया गया है कि वह सुनिश्चित करें कि फोरम के आदेश का पालन समुचित रूप से हुआ है ।

7. प्रकरण लोकपाल के समक्ष भी लंबित है । अतः आयोग द्वारा निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र विद्युत लोकपाल को आवश्यक जांच कर नियमानुसार कार्यवाही हेतु भेजा जावे ।

8. उपरोक्त निर्देश के साथ यह प्रकरण समाप्त किया जाता है ।

उपरोक्त अनुसार आदेश पारित ।

29/11/08

(श्री के.के. गर्ग)	(आर. नटराजन)	(डॉ. जे.एल.बोस)
सदस्य (अभि.)	सदस्य (इकॉनामिक)	अध्यक्ष.